International Journal of Research in Social Science
Vol. 12 Issue 07, July 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ग्रामीण विकास में महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका - प्रभाव एवं समस्याऐं

मोनिका
शोधार्थी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय
जयपुर राज

प्रस्तावना

ग्रामीण महिलाएं समाज के सतत विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों की उपलब्धि की दिशा में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाती हैं। निर्णय लेने और राजनीतिक भागीदारी के सभी स्तरों पर पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समानता] ग्रामीण विकास] शांति और लोकतंत्र की उपलब्धि और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करने के लिए आवश्यक है।

ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण न केवल एक राष्ट्र लोकतंत्र को मजबूत करने] हाशिए पर जाने] तुच्छीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए आवश्यक है बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की कुंजी भी है। ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान या जागरूकता नहीं है] इसलिए वे अपने समुदायों के चुनावों और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेती हैं। ग्रामीण महिलाओं का संस्थानों] शासन और नेतृत्व में प्रतिनिधित्व कम है, और उनमें निर्णय लेने की शक्ति कम है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो निचले स्तर तक शक्ति एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करती है इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामवासी, हर वर्ग, हर श्रेणी] हर इकाई निर्णय व नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता निभाते है। 1957 में बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने सिफारिश प्रस्तुत की कि ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाये। उनकी सलाह पर राज्यों में पंचायतों के गठन का प्रयास किया गया। 2 अक्टूबर] 1959 में पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ से लेकर 73वें संविधान संशोधन के पूर्व तक ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से इसे

प्रारम्भ किया गया था। यद्यपि उसके आशातीत सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आये लेकिन इसके अस्तित्व में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व पिछड़े वर्गों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से शासन का अधिकार मिला। वहीं महिलाओं की भूमिकाओं का पंचायतों में बढ़ता प्रभाव इसके सकारात्मक पक्ष है

बलवंत राय मेहता समिति के गठन के एक दशक बाद अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करके दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की। 1985 में राव समिति ने भी पंचायतों को सफल बनाने के लिये अनेक सिफारिशें कीं। उसके एक वर्ष पश्चात् 1986 में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एम-एल- सिंघवी ने पंचायतों को संविधान के नौवें हिस्से में रखने की अनुशंसा की। जिसके लिये संविधान संशोधन आवश्यक था। इस तरह दिसम्बर, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के बाद पारित हुआ, जो 24 अप्रैल, 1992 के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बना। इस अधिनियम के बाद सभी राज्यों ने अपने पंचायती राज अधिनियम कानून में संशोधन किये।

24 अप्रैल, 2006 को संविधान संशोधन अधिनियम बने हुए लगभग 14 वर्ष पूरे हो गये। इन वर्षों में नई पंचायती राज व्यवस्था में कमजोर व पिछड़े वर्गों के साथ महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि हर ग्राम में उनका विकास के लिये जनप्रतिनिधित्व वे स्वयं कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान] मजदूरी कमाने वाले और उद्यमियों के रूप में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे भोजन की व्यवस्था] बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल] पशुओं की देखभाल सहित अपने परिवार के सदस्यों की भलाई की जिम्मेदारी भी लेते हैं] और कृषि बल के काम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी देते हैं। वे तीव्र गरीबी, कृषि पर अधिक निर्भरता और कम आर्थिक उत्पादकता से पीड़ित हैं। उनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्रों, कृषि या अन्य संबद्ध गतिविधियों की कम आय वाली नौकरियों में शामिल हैं।

महिला जनप्रतिनिधि और ग्रामीण विकास

महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक विकास के नए-नए आयाम खुल रहे हैं। चूंकि महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते वे महिलाओं की कठिनाइयों को भली-भाँति समझेगी] अत: विकास करना आसान होगा। उदाहरणस्वरूप पेयजल स्रोतों का विकास, पनघट के मार्गों का विकास, प्रसूति सुविधाएँ, महिला शिक्षा, बाल

विकास, मनोरंजन आदि कार्यों में विशेष रुचि लेते हुए इन क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा। इन विकास कार्यों की आज ग्रामीण क्षेत्रों में नितांत आवश्यकता है।

महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक वातावरण की भी उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के मनोबल में वृद्धि] महिला शिक्षा] महिला स्वास्थ्य] महिला प्रतिष्ठा आदि में भी वृद्धि होगी। महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से महिलाओं में व्याप्त पर्दा प्रथा] झिझक एवं घबराहट दूर होती है तथा सही निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है।

पुरुष प्रतिनिधि अक्सर निजी शत्रुता] ईष्या एवं प्रतिष्ठा को प्रश्न बनाकर एक-दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, इससे उनकी सकारात्मकता शून्य ही जाती है। किंतु महिलाओं के जनप्रतिनिधि होने पर वैसी राजनीतिक उठापटक नहीं होती।

महिलाएँ प्रायः भ्रष्टाचार से दूर रहती है] फलतः विकास कार्यों का पूरा पैसा विकास कार्यों में लगने से विकास में वृद्धि होती है।

हालाँकि महिला जनप्रतिनिधियों की यह कह कर भी आलोचना की जाती है कि महिला के कारण पंच एवं सरपंच महिलाएँ अपने घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो जाती है और गाँव सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन वह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास में महिला जनप्रतिनिधियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सारी आलोचनाओं के बावजूद महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व से विकास कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है। वस्तुतरू महिला जनप्रतिनिधि सभी अधिकार और सभी विकास कार्यक्रम तभी लागू कर सकती है जब वह इन तत्वों से भली-भाँति परिचित होती है। किसी भी त्रुटि, कमी या आलोचना की परवाह किये बिना महिला जनप्रतिनिधित्व द्वारा विकास की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिये तभी सही अर्थों में ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो पाएगा।

महिलाओं की भागीदारी के लिए सामाजिक बाधाएं

उलझे हुए सामाजिक और पारंपरिक ढांचे द्वारा प्रस्तुत अवरोधों का सेट] जो जाति] लिंग] धर्म] कामुकता] विकलांगता और कई अन्य लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक] सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों जैसे अक्षमता और विशेषाधिकार के कुछ पैटर्न बनाते हैं] महिलाओं को भाग लेने से रोकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और मतदाता दोनों के रूप में चुनावी प्रक्रिया। ये भेदभावपूर्ण कानून, प्रथाएं और संरचना महिलाओं को राजनीतिक आयोजनों में भाग लेने और नेता बनने के लिए हतोत्साहित

करती हैं। इन भेदभावों को हटाना और कम करना अधिक भागीदारी और राजनीतिक आयोजनों और अन्य सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का तरीका हो सकता है।

सुझाव

पर्याप्त राजनीतिक चेतना] ज्ञान] जागरूकता] शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी के कारण अधिकांश ग्रामीण महिलाएं राजनीति में भाग लेने में असमर्थ हैं। उनमें से ज्यादातर यह नहीं जानते कि राजनीति कैसे काम करती है] संस्थाएं लोगों पर कैसे शासन करती हैं। एनजीओ] महिला राजनीतिक शिक्षा मंच] स्वयं सहायता समूहों और महिला लोकतंत्र नेटवर्क की मदद से उन्हें शिक्षित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी और भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से उन्हें उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों] चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक दल को महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता और वकालत के लिए प्रचार से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1- गुप्ता]दीपांकर] पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया] ओरिएंट लोगमैन] 2000

2- भारद्वाज]प्रेम] जेन्डर]डिस्क्राइमिनेशन]पॉलिटिक्स ऑफ विमिन एमपॉवरमेंट] अनामिका पब्लिशर्स] नई दिल्ली] 2001

3- सेल्युएम] एस] एमपॉवरमेंट एंड सोशिल डेवलपमेंट इश्यू इन कम्यूनिटी पॉर्टिसिपेशन] कनिष्का पब्लिशर्स] नई दिल्ली, 2003

4- हटकन] द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मार्डनिज्म] राउटलेज] लंदन] 1998

5- रोजेमबर्ग] द पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन] वर्सो] यू.के. 1999

6- महापत्र] सुभाष] डेवलपमेंट ऑफ विमिन चैलेंजस् एंड रिस्पोंस] सागे और पिन फोर्ज प्रेस] लंदन] 2000

7- बंदोपाध्याय] डी- और मुखर्जी] अनिता; एमपॉवरिंग विमिन पंचायत मेम्बरर्स] राजीव गाँधी फाउंडेशन] नई दिल्ली] 2001

8- शेट्टी]ई-] मूर्ति] पी-कृष्णन] विमिन एमपॉवरमेंट] अनमोल पब्लिकेशन] नई दिल्ली] 2002

9- वर्मा] एन- के-] मिडिया एंड विमिन] मोहित पब्लिकेशन] नई दिल्ली] 1999

10- आर्नल्ड मैथ्यू] कल्चर एण्ड एनार्की] सं- डी-विल्सन] लंदन] रूटलेज एण्ड केगन पाल] 1960

11- अल्थूसर]लुई] आइडियोलॉजी एण्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट आपरेटसेज] लेनिन एण्ड फिलॉसफी] लंदन] एन.एल.बी. में संकलित] 1971

12- अमर्त्य सेन] सोशियलिज्म मार्केट्स एण्ड डिमाक्रेसी] दि इण्डियन इकोनॉमिक जर्नल] खण्ड 37] अंक 4] अप्रेल-जून] 1990

13- धर्मपाल] द ब्यूटीफुल ट्री] नई दिल्ली] बिब्लियास इंप्लेक्स] 1981

14- प्रसाद] किरण] विमिन ग्लोबलाइजेशन एंड मास मिडिया] द विमिन प्रेस] नई दिल्ली]2007